

— प्रेस नोट —

दिनांक 25.09.2020

थाना लालगंज पुलिस द्वारा दहेज हत्या के आरोपी पति व ससुर गिरफ्तार —

अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना लालगंज पुलिस द्वारा दहेज हत्या का आरोपी पति व ससुर को गिरफ्तार किया गया, दिनांक 24.09.2020 को थाना लालगंज पर वादी रामशिरोमणि तिवारी पुत्र केशव प्रसाद निवासी हन्नाविनयका थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा उपस्थित होकर तहरीर दी गयी कि उसकी पुत्री श्रद्धा देवी पत्नी कपिलदेव दूबे उम्र करीब 22 वर्ष, निवासिनी गंगहराकला थाना लालगंज मीरजापुर को ससुरालीजन पति कपिलदेव दूबे, सास सावित्री देवी, ससुर रविशंकर व ननद आरती, प्रिया, प्रीति द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए गला दबाकर मृत्यु कारित कर दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लालगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग की विवेचना/ वाञ्छित अभियुक्त की गिरफ्तारी के क्रम में त्वरित कार्यवाही करते हुए उ0नि0 पंकज राय चौकी प्रभारी लहंगपुर थाना लालगंज मयहमराह का0 अजहर खां द्वारा वाञ्छित अभियुक्त मृतका का पति कपिलदेव दुबे पुत्र रविशंकर दुबे व ससुर रविशंकर दुबे पुत्र चन्दर मणि दुबे निवासी गंगहरा कला थाना लालगंज मीरजापुर को आज दिनांक 25.09.2020 को समय 10.05 बजे टैम्पु स्टैण्ड लहंगपुर के पास से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

